वार्षिक साधारण सभा बैठक दिनांक 24/9/22

श्री पार्श्वनाथ सुविधा गृह निर्माण सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक एजेंडा अनुसार 24/9/2022 को दोप. 1 बजे शिक्षक सहकार भवन, नीमच के हाल में श्री बालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई। निर्धारित गणपूर्ति के अभाव में आधा घंटे के लिए बैठक स्थगित की गई।

स्थगित सम्मेलन की कार्यवाही पुनः 1:30 बजे प्रारंभ की गई एवं एजेंडा सूचि अनुसार प्रस्तावों पर विचार प्रारंभ किया गया।

(116) उपविधि क्र. 24(2) के अन्तर्गत वार्षिक पत्रक वर्ष 2021-2022 को स्वीकृत करने बाबत।	(116) संस्था अध्यक्ष द्वारा वार्षिक आय-व्यय प्रस्तुत किया गया जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया अवलोकन एवं अध्यक्ष द्वारा वाचन उपरान्त सर्व सम्मति से आय-व्यय की पुष्टि की गई।
(117) संस्था का अनुमानित बजट वर्ष 2023-2024 का अनुमोदन करने बाबत	(117) संस्था अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2023-2024 का अनुमानित बजट को प्रस्तुत किया

अनुमानित आय		अनुमानित व्यय	
(1) प्रवेश शुल्क	25000=00	(1) स्टेशनरी	5000=00
(2) प्रबंध शुल्क	30,000=00	(2) डाक व्यय	10,000=00
(3) सूद अमानत	50,000=00	(3) व्यवस्था खर्च	200000=00
(4) भू-खण्ड अग्रिम	120,00000=00	(4) विविध व्यय	100000=00
(5) विकास शुल्क	360,00000=00	(5) कार्यालय किराया	50,000=00
(6) अन्य आय	6000=00	(6) अतिथि सत्कार	50,000=00
		(7) साधारण सभा व्यय	100000=00
		(8) विकास व्यय	320,00000=00
		(9) विद्युत विकास व्यय	6000000=00
		(10) न्यायालय व्यय	200000=00
		(11) भूमिक्रय व्यय	9000000=00
		(12) सुपरविजन व्यय	200000=00
		(13) शुद्ध लाभ	196000=00
योग =	48111000=00	योग =	48111000=00

(~~क्रम~~)	उपरोक्त स्वीकृत बजट को सर्व सम्मति से अनुमोदन कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(118) जिन सदस्यों द्वारा निर्धारित वांछित पूर्तियां नहीं की गई है उनकी सदस्यता निरस्ती बाबत।	(118) जिन सदस्यों द्वारा निर्धारित वांछित शासन एवं संस्था द्वारा चाहि गई पूर्तियां नहीं की जाती है उन सदस्यों की निरस्ती करने बाबत गहन चर्चा की गई चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से उनकी सदस्यता निरस्त कर उनकी जमा राशियां ड्राफ्ट द्वारा वापिस लौटाई जावे एवं निरस्त सदस्यों की सूची सहकारिता विभाग में सूचनार्थ प्रेषित की जावे। एवं उनके स्थान पर नये सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की जावे।
(119) प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	(119), वर्ष 2021-2022 में प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी का अध्यक्ष महोदय द्वारा वाचन किया गया उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रबंध समिति द्वारा लिये ~~निर्णय~~ समस्त निर्णयों की पुष्टि की जाती है।
(120) आडिट नोट तामिल प्रतिवेदन एवं आडिट चार्टड अकाउंटेंट से करवाया जाने बाबत।	(121) आडिट नोट का वाचन किया गया एवं आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन बनाया गया एवं वर्ष 2022-2023 का आडिट चार्टड अकाउंटेंट से करवाया जाने हेतु विचार किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया की वर्ष 2022-2023 का

	आडिट शासन की मंशा अनुसार चार्टेड अकाउंटेड से कराया जावे।
(121) सदस्यों द्वारा अपने मो. नं. व आधार कार्ड नं.; पेन कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने बाबत।	(121) शासन के निर्देशो अनुसार सदस्यों की जानकारी, मोबाईल नं., आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि की जानकारी शासन को प्रारूप मे भेजी जाती है, सदस्यों द्वारा जानकारी नही उपलब्ध कराई जा रही है जिसके कारण शासन के निर्देशो का पालन समय पर नही कर पा रहे है. सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ~~अतः~~ सदस्योंसे पुनः एक बार निवेदन किया जावे। निवेदन उपरान्त भी जो सदस्य जानकारी उपलब्ध नही करा रहा है उनकी सदस्यता निरस्त की जावे।
(122) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संस्था निर्वाचन ड्यू तिथि पर कराये जाने बाबत।	(122) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संस्था का निर्वाचन दिनांक २८.०४.2023 को ड्यू हो रहे है अतः निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रबंध समिति मे ठहराव प्रस्ताव कर नियमानुसार निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सहकारी ता विभाग को लिखा जावे उक्त निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

[signature]

साधारण सभा दिनांक 23/09/2023

श्री परशुराम सुविधागृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23/09/2023 वार शनिवार समय दोप. 1 बजे स्थान - शिक्षक सहकार भवन नीमच के हॉल में श्री बालकृष्ण शर्मा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई जिसमें निम्नानुसार विषय प्रस्तुत किये गये। जिन पर विचार-विमर्श होकर निर्णय लिये गये।—

(123) उपविधि क्र. 25(2) के अन्तर्गत वार्षिक पत्रक वर्ष 2022-2023 को स्वीकृत करने बाबत।

(123) संस्था अध्यक्ष द्वारा वार्षिक आय-व्यय पत्रक वर्ष 2022-23 का वाचन सभा कक्ष में किया गया। वर्ष 2022-2023 में हुए आय-व्यय से उपस्थित सदस्य अवगत हुवे, वास्तविक आय-व्यय को सर्व सम्मति से स्वीकार करते हुए अनुमोदन किया गया।

(124) संस्था का अनुमानित बजट वर्ष 2024-2025 का अनुमोदन करने बाबत।

(124) संस्था अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिए बजट का ब्योरा उपस्थित सदस्यों के समक्ष किये।

आयशीर्ष:-

1	प्रवेश शुल्क	25000=00
2	प्रबंध शुल्क	30000=00
3	सूद अमानत	50.000=00
4	भूखंड राशि	12000000=00
5	विकास शुल्क	36000000=00
6	अन्य आय	6000=00
	कुल आय	48111000=00

व्ययशीर्ष:-

1	स्टेशनरी	5000=00
2	डाक व्यय	10000=00
3	व्यवस्था खर्च	200000=00
4	विविध व्यय	100000=00
5	कार्यालय किराया	50000=00
6	अतिथि सत्कार	50000=00

(7)	साधारण सभा	100000=00
(8)	विकास व्यय	32000000=00
(9)	विद्युत विकास व्यय	6000000=00
(10)	न्यायालय व्यय	200000=00
(11)	भूमि क्रय व्यय	9000000=00
(12)	सुप्रविजन व्यय	200000=00
(13)	शुद्ध लाभ	196000=00
	कुल व्यय	48111000=00

अत: संस्था का बजट वर्ष 2024-2025 का सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है।

(25) जिन सदस्यों द्वारा निर्धारित वांछित पूर्तियां नही की जा रही हैं उनकी सदस्यता निरस्ती एवं पुष्टि बाबत।

(25) जिन सदस्यों द्वारा निर्धारित वांछित पूर्तियां नहीं जा रही हैं एवं जिन सदस्यों के अपूर्ण पते एवं वांछित पूर्तियां नही गई है उन सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर संस्पेंश खाते मे जमा की जावे। तथा जिन सदस्यों के पूर्ण पते ज्ञात है उनको सूचना पत्र जारी कर वांछित पूर्तियां एवं भूखण्ड अग्रिम एवं विकास शुल्क जमा कराने का अंतिम अवसर प्रदान करने का सूचना पत्र जारी कि जावे। ताकी जो सदस्य भूखण्ड लेना चाहता वो राशि जमा करा सके तथा उन्हे 15 दिवस का समय सीमा मे वांछित पूर्तिया करने एवं राशि जमा का अन्तिम अवसर दिया जावे। एवं जो सदस्य निर्धारित सीमा में वांछित पूर्तियां एवं देयको का भुगतान करने मे असफल रहता है

Scanned with OKEN Scanner

१७-२२

प्रबंध समिति को सर्वानुमति से दिया जाता है।

(126) प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि बाबत।	(126) संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णय में संकल्प क्र. 178 दिनांक 13/6/2 से संकल्प क्र. 190 दिनांक 3/9/2 तक वाचन कर उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया। अतः सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा लिये गये संकल्प क्रमांक 178 से 190 तक की पुष्टि की जाती

Scanned with OKEN Scanner

विशेष (आवश्यक) साधारण सभा
दिनांक 30/6/2024.

श्री परशुराम सुविधा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच की ~~[illegible]~~ आवश्यक साधारण सभा दिनांक 30/6/2024 वार रविवार, समय 1 बजे स्थान शिक्षक सहकार भवन, नीमच के हाल मे श्री बालकृष्ण शर्मा अध्यक्ष की अध्यक्षता मे प्रारंभ हुई जिसमें निम्नानुसार विषय पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये

(127) संस्था की विकसित की जाने वाली कॉलोनी विकास व्यय एवं विकास की जानकारी बाबत।	(127) कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला नीमच के पत्र क्र./शिकायत/2024/234 नीमच दिनांक 5/5/2024 के पालन में संस्था की विकसित की जाने वाली कॉलोनी के विकास व्यय आदि एवं विकास की समस्त जानकारी सदस्यों को देने हेतु बैठक आहूत की गई जिसमें अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं शिकायत कर्ता सदस्यों को कॉलोनी विकास की सम्पूर्ण जानकारी, कॉलोनाइजर लायसेंस, विकास अनुज्ञा, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित मेप एवं अनुमति, रेरा पंजीयन की जानकारी दी एवं कालोनी विकास मे होने वाले व्ययों की जानकारी देते हुवे बताया कि अनुमानित एस्टीमेट आवास कन्सल्टेंसी के अनुसार 3024000 रुपये, पंचायत मे जमा, लायसेंस खर्च, जमीन की किमत, डायवर्सन एवं सम्पत्ति कर, टी. एन. सी. एवं विकास अनुमति, विद्युत कनेक्शन व्यय, विविध व्यय, एवं अन्य व्यय की जानकारी उपस्थित सदस्यों को देते हुवे भूमि एवं विकास व्यय के अनुसार 400) रु. प्रति वर्गफीट अनुमानित व्यय होगा। जो

चेक द्वारा जमा कराने हेतु
एक सूचनापत्र अंतिम कपल जारी
करने का प्रारूप बना कर
सदस्यों को अवगत कराया
जिसमे 60 दिवस मे भूखण्ड
राशि / विकास राशि जमा करने
हेतु निवेदन किया जावे
समय उपरान्त जिन सदस्यों
राशि नहीं जमा की जाती
उनकी सदस्यता निरस्त
हेतु एवं राशि 400) के
की कटौती निर्धारित करने
की उपस्थित सदस्यों
सर्वानुमति से सहमति दे
हुए उपरोक्त निर्णय पारित
किया जो उपस्थित सदस्य
को पढ़ कर सुनाया गया
~~एवं~~ - जिसकी पुष्टि उपस्थित
~~समस्त~~ समस्त सदस्यों द्वारा
सर्वानुमति दी गई एवं
उपरोक्त समस्त कार्यवाही के
समय सहायक आयुक्त सहकारिता
का प्रतिनिधि सुश्री रितु पटेल
भी उपस्थित रही।

(128) वांछित दस्तावेज / भूखण्ड पेटे अग्रिम राशि / विकास शुल्क / उपविधियो के उप बंधो का अनुपालन करने बाबत

(128) बैठक मे उपस्थित
सदस्यों को वांछित दस्तावेज
भूखण्ड पेटे अग्रिम राशि / विकास शुल्क
उपविधियो के उपबंधो का
अनुपालन हेतु निवेदन किया
जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा
इसका पालन एवं भूखण्ड राशि
विकास राशि जमा करने हेतु
समय सीमा मे जमा करने की
सहमति प्रदान की।

Scanned with OKEN Scanner

(129) सदस्यों के माता का नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की छायाप्रति उपलब्ध कराने बाबत|

(129) उपस्थित सदस्यों को संस्था द्वारा वांछित प्रतियां करने हेतु बताया गया जिसके माता का नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड पेन कार्ड, वोटर कार्ड आदि सदस्यों की जानकारी मे अपडेट करने हेतु वांछित है जिस पर सदस्यों ने अतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया गया

(130) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूर्व मे उपविधि क्रमांक (5 (1) के पालन मे संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर का स्थाई निवासी होने से निष्कासित सदस्यगण द्वारा सम्मेलन मे आकर व्यवधान उत्पन्न करने एवं अभद्र व्यवहार करने पर विचार बाबत|

(130) संस्था द्वारा पूर्व मे कार्यक्षेत्र के बाहर का स्थाई निवासी होने से उपविधि क्रमांक 5 (1) (a) के पालन मे निम्न सदस्यों का प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था|

(1) श्री ओम शर्मा पिता रामचन्द्र निवासी मन्दसौर
(2) श्री जगदीश पिता रामचन्द्र
(3) श्री पुरुषोत्तम पिता मदनलाल त्रिपाठी

~~[illegible]~~ जिनको पुन: ~~[illegible]~~ सदस्य बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है इनको पृथक से पुन: आवेदन ~~[illegible]~~ करने हेतु पत्र आयुक्त के आदेश के पालन मे पत्र जारी किया जा चुका है ये जानकारी इनको देने के बाद भी श्री ओमशर्मा पिता रामचन्द्र शर्मा, जगदीश पिता रामचन्द्र शर्मा द्वारा बैठक मे व्यवधान उत्पन्न कर पदाधिकारी से अभद्र व्यवहार किया गया जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा कि इनके कृत्य की निंदा करते हुए नियमानुसार इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने की सर्वानुमति से निर्णय

लिया गया। पूर्व में भी
इनके द्वारा संस्था की सा
को एवं पदाधिकारियों की
साख को क्षति पहुंचाई गई

Scanned with OKEN Scanner

साधारण सभा बैठक दिनांक २१।९।२०२४

श्री परशुराम सुविधा यूद बिनिज सहः समिति वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक २१।९।२०२४ शनिवार को दोप. १ बजे स्थान सिसुड सहकार भवन नीमच के हॉल में श्री बालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई। जिसमें निम्नानुसार विषयसूची प्रस्तुत किये गये जिन पर गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये:—

(131) उपविधि क्रमांक (25(2) के अन्तर्गत वार्षिक पत्रक वर्ष 2023-24 का स्वीकृत करने बाबत।	(131) संस्था अध्यक्ष द्वारा वार्षिक आय-व्यय पत्रक वर्ष 2023-24 का वाचन सभा कक्ष में किया गया वर्ष 2023-2024 में हुये आय-व्यय से उपस्थित सदस्य अवगत हुवे। वास्तविक आय-व्यय सर्व सम्मति से स्वीकार करते हुये अनुमोदन किया गया।
(132) संस्था का अनुमानित बजट वर्ष 2025-2026 का अनुमोदन (स्वीकृत) करने बाबत।	(132) संस्था अध्यक्ष द्वारा अर्थवर्ष 2025-2026 के लिये बजट का ब्यौरा उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त बजट को प्रबंध संचालक समिति के संकल्प कं. 197 दिनांक 13।3।2024 द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:—

अनुमानित आय

① प्रवेश शुल्क	30000=00
② प्रबंध शुल्क	100000=00
③ सूद अमानत	50000=00
④ विकास शुल्क	40000000=00
⑤ अन्य आय	6000=00
⑥ भूखण्ड अग्रीम	12000000=00
कुल	52186000=00

अनुमोदित व्यय:—

① स्टेशनरी व्यय	10000=00
② डाक व्यय	10000=00
③ व्यवस्था खर्च	200000=00
④ विविध व्यय	100000=00

Scanned with OKEN Scanner

(5) कार्यालय किराया 50000
(6) अतिथि सत्कार 50000
(7) साधारण सभा व्यय 100000
(8) विकास व्यय 3500000
(9) विद्युत विकास व्यय 650000
(10) न्यायालय व्यय 20000
(11) भूमि क्रय व्यय 9000000
(12) सुपरविजन व्यय 30000
(13) शुद्ध लाभ 6660

कुल योग:- 5219600

प्रबंध संचालक समिति द्वारा अनु बजट वर्ष 2025-2026 का सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता है।

(133) प्रबंध समिति द्वारा लिए गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।

(133) संस्था के अध्यक्ष द्वारा परशुराम सुविधा गृह निर्माण स संस्था मर्या. नीमच की प्रबंध स के वर्ष 2023-2024 में लि गये निर्णयों का पठन किय गया।

बाद विचार विमर्श प्रबं सम्मति द्वारा पारित किये संकल्पों पुष्टि करते हुये लिये गये समस निर्णयों सर्व सम्मति से स्वीक किया जाता है।

(134) सदस्यों को संस्था द्वारा किये गये कार्यों से अवगत कराने बाबत।

(134) संस्था अध्यक्ष द्वारा किये गये संस्था हित एवं कॉलोनी विकास हेतु किये ग कार्यो ब्यौरा सभाकक्ष मे उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये:-

(1) कॉलोनी का लापर्ष
(2) मान चित्र स्वीकृत कार्वा
(3) समस्त अधिकारी विभाग

प्राप्त की गई

(4) नजूल अनापत्ति प्राप्त की गई

(5) संस्था की भूमि से L.T. लाईन के विद्युत तार हटवाये गये

(6) संस्था की परियोजना हेतु नियमानुसार रेरा पंजीयन करवाया गया।

(7) संस्था की भूमि के आगे की तरफ फ्रिकास्टर कार्य (बाउण्डीवाल) करवाया गया।

(8) भूमि में हो रहे गड्ढे एवं ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भराव-कराकर समतलीकरण करवाया गया। उपरोक्त एवं समस्त कार्यों से कार्योपरान्त कार्य उपरान्त हुये समस्त व्ययों की जानकारी प्रस्तुत की गई। उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से किये गये कार्यों एवं एवं उन पर किये गये व्ययों को स्वीकार करते हुये पुष्टि की जाती है एवं सभाकक्ष में उपस्थित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा प्रशंसा की गई।

(135) सदस्यों की प्राथमिकता सूचि अनुमोदित करने बाबत। — (135) संस्था अध्यक्ष द्वारा सभाकक्ष में सदस्यों की प्राथमिकता सूचि का पठन किया एवं सदस्यों को अवलोकन कराया गया, अवलोकन उपरान्त सर्वसम्मति से सदस्यों की प्राथमिकता सूची को अनुमोदित किया जाता है।

(136) आडिटनोट तमिल प्रतिवेदन बाबत। — (136) संस्था अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्था के अभिलेखों का परिक्षण एवं आडिट सहकारी संस्था के संपरिक्षक

द्वारा किया जा चुका है जिसे समय-समय पर प्राप्त आडिट नोट्स उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उनके प्रतिवेदन की जानकारी भी दी गई।

वाद-विवाद उपरान्त सर्व सम्मति से प्राप्त आडिट का दिया गया प्रतिवेदन स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

(137) पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी सदस्यों द्वारा भूखण्ड अग्रिम एवं विकास व्यय तथा निर्धारित वांछित प्रतियां नहीं की जा रही है उस पर चर्चा एवं निर्णय बाबत।

(137) संस्था के सदस्यों को भूखण्ड अग्रीम / विकास व्यय की राशियां एवं निर्धारित वांछित प्रतियां करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। जिसके विपरीत कतिपय सदस्यों द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता एवं संस्था के पत्रों का पालन नहीं किया जा रहा है इस संबंध में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया की सहायक आयुक्त सहकारिता से पत्र लिख कर निर्देश प्राप्त किया जावे।

जिन सदस्यों द्वारा भूखण्ड अग्रिम विकास व्यय की राशियां जमा की जा रही है उन सदस्यों को सहायक आयुक्त सहकारिता के आदेश के पालन में तथा अनुविभागीय अधिकारी नीमच से विकास अनुज्ञा आदेश क्र. 02 नीमच दिनांक ... के अनुसार "श्री परशुराम नगर कॉलोनी के स्वीकृत मानचित्र अनुसार कॉलोनी विकसित करने एवं 50 प्रतिशत भूखण्ड विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान की है। चुंकि सदस्यों से भूखण्ड अग्रिम विकास व्यय हेतु चार लाख रुपये की राशि जमा करने का सूचना

जारी किया गया है, उन्हे भूखण्ड आकार अनुसार 400) रु. प्रतिवर्ग फीट के भाव से राशि लेना अनुमानित है जिन सदस्यों द्वारा अधिक राशि जमा कर दी गई है उन सदस्यों को कॉलोनी विकास उपरान्त वास्तविक व्यय एवं भूखण्ड आकार अनुसार आंकलन/गणना कर अधिक राशि जमा होने पर लौटाई जावे तथा कम राशि होने पर शेष राशि ली जावे इस शर्त पर सदस्यों को प्राथमिकता सूची अनुसार आवंटन (भूखण्ड का) कर भूखण्ड का पंजीयन कराने की सर्वानुमति से स्वीकृती प्रदान की जाती है।